

19-04-2022 प्राथी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं शपथ पत्र, जमावदियों व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्राथी के पक्ष में बनता है, अतः आगामी तारिख पेशी तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके चक ग्राम 9 जोगीवाला के खाता सं. 86/85 के मु.न. 19 के किला न. 18 ता 23, मु.न. 28 के किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9, 10 की कुल 3.0360 हैक्टर खातेवासी अप्रार्थी नरहराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें से अप्रार्थी सं. 01 नरहराम वाद कृषि भूमि में 1/7 हक व हिस्से के अतिरिक्त वाद कृषि भूमि को रहन, बैय, मुत्तकिल ना करें। बैंक ऋण (रोझ एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, गाफोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी। इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उच्च एतराज हो तो असातन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसेला कन्कर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.05.2022 को पेश हो।

Handwritten signature

19/5/22 पत्रावली पेश की वकील प्रार्थी हुकम
 पत्रावली वाद की अहमदाबादी
 दिनांक 01.7.22 को पेश की

पत्रावली पेश हुई गार सघं का
 कार्य रणमित है। गत आदेशानुसार
 पत्रावली दिनांक 01/07/22 को पेश हो
 गया

पत्रावली पेश हुए अहमदाबादी
 अधिकारी अहमदाबादी के CD LD
 दिनांक 01/07/22 को पेश हो।



